Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

नट समुदाय की स्थितिः एक समाजिक केस अध्ययन

Dr. Md Talib*

PhD Political Science, Magadh University, Bodhgaya

सारांश – *यह पत्र नट समुदाय की स्थितियों को उनकी गरीबी के संबंध में समझने से संबंधित है। नट एक खानाबदोश समुदाय है, मुख्य रूप से गायनं रस्सी नृय और बाजीगरी में शामिल है। नट शब्द का एक अर्थ नृत्य या नाटक (अभिनय) करना भी है। शरीर के अंग-प्रयंग को लचीला बनाकर भिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करते हुए जनका मनोरंजन इनका मुख्य पेशा है। इस समुदाय में बहुसंस्कृतिवाद उनके समाज के एक महत्वपूर्ण पहलु है। समकालीन समय में नट समुदाय से संबंधित उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति पर ध्यान दें। यह पत्र बुनियादी सुविधाओं, असमानता और समाजिक बहिष्कार उसके अभाव के पहलुओं पर चर्चा करता है। समकालीन समाज में उनके पिछड़ेपन की नींव रखता है। इतिहासिक रूप से वे कलाबाज है। पारंम्परिक रूप से राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था, नवजात शिशु, विवाह और नृत्य के लिए नट को विशेष आमंत्रित किया जाता था। समय बीतने के बाद और कुछ कारकों के कारण इन कौशलों को प्रासंगिक नहीं देखा गया है। समकालीन समाज के लिए यह समुदाय धीरे-धीरे मनोरंजन से स्थानांतरित हो गया है। अब मजदूर के रूप में कार्य करता है। रिक्शा चालक, संविदा, पशुपालन और कृषि मज़दूर में कार्य कर अपना पालन-पोशन करता है वे अनपढ़ है, और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए कोई सुविधा नहीं है। गरीबी उसे मुख्य धारा के समाज से अलग कर देती है। अब वे समाजिक रूप से बहिष्कृत है और रहने के लिए मजबूर है। नट जाति के बच्चों का स्कूल में नामांकन के अनुपात बहुत ही कम है। नट जाति की स्त्रियाँ नाचने व गाने का कार्य करती है। इस जाति को भारत सरकार ने संविधान में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत शालिम कर लिया है ताकि उनकी समाज के अन्दर उन्हें, शिक्षा, रोजगार आदि के विशेष अधिकार देकर आगे बढ़ाया जा सके। इनकी स्त्रियाँ खूबसूरत होने के साथ-साथ हाव भाव प्रदर्शन करके नृत्य व गायन में काफी प्रवीण होती है। नटों में प्रमुख रूप से दो उपजातियाँ है, बजनिया नट और ब्राजवासी नट। बजनिया नट प्रायः बाजीगरी या कलाबाजी और गाने बजाने का कार्य करता है जबकि ब्रजवासी नटों में स्त्रियाँ नर्तकी के रूप में नाचने गाने का कार्य करती है और उनके पुरुष या पति उनके साथ साजिन्दे (बादय यंत्र बजाने) का कार्य करते हैं। समकालीन समय में नट जाति के समाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत ही दैनीये हो गया है। इसलिए इस समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि नट जाति का उत्थान हो सकें।*

----------X----------

प्रस्तावना

नट जाति का मूल (उत्पत्ति) कहाँ है और विभिन्न युगों में इनकी क्या स्थिति रही है? इस प्रश्न का कोई एक निश्चिन उत्तर नहीं है। इस बारे में भिन्न-भिन्न मत है। नट अपने को भारत के मूल निवासी मानते हैं। इनमें गरीबी का सबसे विकट स्वरूप होने के बाद भी ये अपनी विशिष्ट संस्कृति के रक्षार्थ आज भी सचेष्ट हैं और किसी अन्य जाति या प्रजाति में अपना वैवाहिक सम्बंध नहीं बनाते। नट प्राचीन काल से ही बारह अंत्यजों में गिने जाने वाली जाति है। इसे बाजीगर और सपेरा भी कहा जाता है। रसेल और हीरा लाल ने डांग-चरहा, करनट, बाजीगर और शैलप को भी नट के पर्याय के रूप में देखा है।

हरीत (हरीति) धर्मसूत्र, औशनस धर्मशास्त्र, बृहस्पिति के धर्मशास्त्र, आत्रेय धर्मशास्त्र, कामसूत्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, भरत के नाट्यशास्त्र, अमरकोष, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में आई चर्चा से प्राचीन समाज में नटों अवस्थिति और इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इनसे पता चलता है कि सूत्रकाल (600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व) के काफी पहले यह समूह अस्तित्व ग्रहण कर चुका था और सूत्रकाल से ही इसे निरन्तर अंत्यज माना जाता रहा है।

हरित अपने धर्मसूत्र में नट और शैलूष में अंतर करते हैं। अपराकें ने चर्चा की है कि शैलूष अभिनयजीवी गति है। वह नट से भिन्न है। नट जाति अपने खेलों के लिए प्रसिद्ध है। उशना के अनुसार, वैश्य एवं रजक की संतान को नर्तक कहा

www.ignited.in

जाता है। वृहस्पति ने नट एवं नर्तक का अलग-अलग रूप में वर्णन किया है। अत्रि ने भी दोनों की पृथक-पृथक चर्चा की है।

वास्त्यायन के कामसूत्र में मालाकार, स्वर्णकार, धोबी, अभिनेता, नर्तक आदि शिल्पियों की चर्चा आई हैं।

वाल्मीकिम रामायण से पता चलता है कि ब्राहमण समाज में चांडालों को संभवतः शिकारी और बहेलिया होने के कारण स्थान मिला। उन्हें पशुओं और मनुष्यों का शव फेंकने का काम सौंपा गया है। जातकों से जानकारी मिलती है कि कुछ चांडाल बाजीगरी और कालाबाजी का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते थे।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्षत्रिय स्त्री और राजन्य ब्रात्य की संतान के रूप में मल्ल, मल्ल, लिच्छवी, नट, करण, स्वस और द्रविड़ का उल्लेख किया गया है। यह बताता है कि शूद्र का निर्वाह द्विजों की सेवा से होता था। लेकिन वे शिल्पियों, नर्तकों और अभिनय का व्यवसाय करके भी जीवन निर्वाह करते थे।

कौटिल्य के अनुसार, अभिनेता, खिलाड़ी, गायक, मछुआ, शिकारी, पशुपालक आसवक और ऐसे ही अन्य लोग अपनी औरतों के साथ घूमते हैं। मनुस्मृति ने दूसरे की स्त्री से बातचीत नहीं करने वाले नियम से अभिनेताओं और गायकों- जैसे कुछ शूद्रों को मुक्त रखा है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों से गोपनीय कर्म कराकर निर्वाह करते हैं। मनु ने शिल्पकार, कलाकार और नर्तकों को गवाह के रूप में (खास कर दीवानी मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है। अमरकोष में ढोल बजाने वाले, वंशी और वीणा बजाने वाले, अभिनेता, नर्तकों और कलाबाज, इन सभी का समावेश शुद्र वर्ग में किया गया है।

इन ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि नट समुदाय पिछले ढाई हजार वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। इसे तभी से अंत्यज या अछूत माना जाता रहा है। एक श्रेणी का होते भी नट (करतब दिखाने वाला) तथा शैलूष (नृत्य और संगीत से जुड़े समुदाय) में अंतर करने की प्रवृति प्राचीन काल से ही रही है। नट समुदाय के लोगों में सेवा के बदले स्वतंत्र जीविकोपार्जन की प्रवृति रही है।

रसेल और हीरालाल के अनुसार नट दरअसल कंजर या बेरिया जिप्सी जाति के हैं। इसी तरह से रिजले बाजीगर और कबुतरी को बंगाल की बेरिया जाति एक हिस्से के रूप में देखते हैं। इनका मानना है कि नटों और कंजरों में गहरा संबंध हैं। नट महिलाओं को कई बार कबूतरी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोविंस (मध्य प्रांत) में कलाबाजी करने वाली गोपल जाति की महिलाओं को कबूतरी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोविंस अब (मध्यप्रदेश) से सटे इलाकों में बेदी या रस्सी पर करतब करने वाला समूह, गोंड जनजाति का एक हिस्सा है।

नट समुदाय के लोग अपने समूह के उद्भव का इतिहास नहीं बता पाते। वे यह भी नहीं बता पाते कि वे मौजूदा वास स्थान पर कहाँ से आकर बसे हैं।

नट जाति की स्थितिः

एक तरफ़ जहाँ ये नट जातियाँ विकास की अंधी दौड़ में पीछे छूटती चली गई वही दूसरी तरफ आजादी से पहले और बाद में बने कानून भी इन्हें हाशिये पर धकेलते गए राजस्थान में अरावली की तलहटी पर बसा एक छोटा सा गाँव है। गाँव के पास ही वंजारों की एक बस्ती है। जहाँ इस समुदाय के करीब 20-22 परिवार रहते हैं। सुल्तान का परिवार भी इनमें से एक है। इन्होंने हाल ही में अपना घर दोबारा बनाया है, दोबारा इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले गाँव के लोगों ने इस पूरी बस्ती में आग लगा दी थी इस घटना के बारे में सुल्तान की पत्नी सुगना बताती है, पिछली दीवाली की बात है। यहाँ पास ही में एक गौशाला बनी थी मेरी माँ एक दिन वहाँ लेग हैंडपंड से पानी पीने चली गई, गौशाला वाले इस पर इतना भड़क गए कि उन्होंने पहले तो हमें पीटा और कुछ देर बाद गाँव वालों के साथ आकर बंजारो (नटों) की सारी झोपड़ियाँ फूंक दी।

अपनी झोपड़ी में लगी आग को बुझाने में सुल्तान का बायां हाथ बुरी तरह झुलस गया था उनके निशान आज भी साफ़ दिखाई पड़ते हैं। सुल्तान कहते हैं कि हम बंजारे (नट) है। पीढ़ियों से घूमते ही रहे हैं। लेकिन अब घूमने से दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती इसलिए एक जगह बस जाना चाहते हैं पर बसने जाओ तो हमारे साथ ऐसा सलूक होता है, बसने से पहले ही लोग उजाड़ देते हैं वे आगे कहते हैं हम यहां रहते भी हैं तो गाँव वालों की दबंगई में ही जीते हैं, न उनके नलों से पाली ले सकते हैं और न ही किसी सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे जानवर अगर गाँव में चले जाते हैं तो वे लोग उन्हें वहीं रोक लेते हैं। फिर कभी पैसे लेकर जानवर लौटाते हैं और कभी लौटाते ही नहीं सुल्तान और उनकी बस्ती के अन्य बंजारों की आज जो स्थिति है कमोबेश वही देश की सैकड़ों (घुमंतु) नट जाति के करोड़ों लोगों की भी है, सदियों से घुमंतु रही ये नट जातियाँ अब स्थायी तौर पर बसना चाहती है, लेकिन वे सभी कमोबेश वैसी ही चुनौतियों का सामना कर रही है जैसी सुल्तान और उनके साथियों के सामने है।

www.ignited.in

अलवर जिला के भोजपूरी गाँव के पास आकर बसे नट समुदाय के लेाग भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं इनमें शामिल योगेश बताते हैं हम लोग कुछ महीने पहले यहाँ आए हैं। हमने जब यहाँ अपना घर बनाना शुरू किया तो किसी ने नहीं रोका लेकि गाँव वालों को जब से पता लगा कि हम नट है तब से वे हमें भगाने पर तुले हैं। योगेश के ही परिवार से मीना कहती है, करीब एक महीना पहले पास के मंडावर गाँव के लोग यहाँ आए और हमें मारते हुए ताड़वृक्ष चैराहे पर ले गए। उन लोगों ने हमें धमकी दी है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमें मार डालेंगे।

सुल्तान, योगेश और मीना की कहानियाँ उन चुनौतियों के अपेक्षाकृत छोटे उदाहरण हैं जो आज घुमंतु जातियों के करोड़ों लोगों के सामने हैं, नट समाज के लिए यह बहुत ही दैनीय स्थिति पैदा होते जा रहा है।

इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? क्यों इन घुमंतु (नटों) को अपने आस-पास बसाना नहीं चाहते? जो नट समुदाय सदियों से घुमंतु रही है अखिर वे अब बसना ही क्यों चाहती है? स्थायी तौर से बसने के लिए उन्हें और किस-किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कानून या व्यवस्था के स्तर पर इन लोगों के लिए क्या कुछ हुआ है? ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। इन घुमंतु जातियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 2005 में रेन्के आयोग का गठन किया था। अब इस आयोग ने 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हुए कुल 76 सुझाव दिए थे लेकिन इन सुझावों और रिपोर्ट पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीती साल सरकार ने एक बार फिर से एक आयोग का गठन किया भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में बने इस नए आयोग को भी घुमंतु जातियों के चिन्हीकरण और इनके कल्याण के लिए सुझाव देने का बिल्कुल वही काम सौंपा गया जो 2005 में रेन्के आयोग को सौंपा गया था।

संवैधानिक संरक्षणः

संवैधानिक संरक्षणः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए किये गये प्रयत्नों के सर्वप्रथम उल्लेखनीय उनके लिए संवैधानिक संरक्षण है, स्वतन्त्र भारत के संविधान में उनकी अनेक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित नियम रखे गये हैंः

अनुच्छेद 15:

1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
2. केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक- (1) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, (2) साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी नियोग्यता, प्रतिबन्ध या शर्त के अधीन न होगा।

अनुच्छेद 16: राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बंध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

अनुच्छेद 17: 'अस्पृश्यता' का अन्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 29: राज्यनिधि द्वारा घोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया जायेगा।

अनुच्छेद 38: राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कार्यसाधन रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे।

अनुच्छेद 46: राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों की, विशेषता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955

केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 के विस्तारपूर्वक लागू करने के लिए इस अधिनियम को पास किया और यह कानून के रूप में 1 जून सन् 1955 से लागू हुआ। इस अधिनियम की मुख्यधाराएँ इस प्रकार हैः

www.ignited.in

धारा 3:

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होगी।

2. प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार की पूजा प्रार्थना या दूसरे धार्मिक संस्कार करने में स्वतन्त्र होगा।

3. प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सम्बंधी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी देने की स्वतंत्रता होगी।

4. इन नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गई कोई भी सहायता बन्द की जा सकती या जमीन छीनी जा सकती है।

धारा 4:

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी दुकान, जलपान, गृह, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने और धर्मशालाओं या मुसाफिरखानों के बर्तनों तथा अन्य चीजों को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी।

2. किसी भी नदी, कुएँ, नल, घाट, शमशान या कब्रिस्तान के स्थानों को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी।

3. साधारण जनता के लिए बनाई गई धर्मार्थ संस्थाओं के लाभ और सेवाओं को उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. किसी भी मुहल्ले में जमीन खरीदने, मकान बनवाने और रहने की स्वतंत्रता होगी।

5. किसी भी धर्मशाला, सराय आदि से लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होगा;

6. किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्कार या प्रथा को अपनाने की स्वतंत्रता होगी,

7. किसी भी प्रकार के जेवर या अन्य चीजों को पहनने की स्वतंत्रता होगी।

धारा 5:

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सामाजिक चिकित्सालय, औषधालय, शिक्षा संस्था या छात्रपाल में प्रवेश करने का अधिकार होगा और वहाँ प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जायेगा।

2. अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या सेवा करने से इन्कार नहीं कर सकता है।

धारा 7:

1. इस कानून के किसी भी नियम को न मानने या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वालों को दण्ड किया जायेगा। ये दण्ड 6 माह की कैद या 500 रु के जुर्माने या दोनों ही हो सकते हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1976:

केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अस्पृश्यता के अपराध के लिए कड़े दण्ड के प्रावधान का नया कानून 19 नवम्बर 1976 से लागू कर दिया गया है। अस्पृश्यता सामाजिक बुराई को संविधान की धारा 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1955 में अस्पृश्यता अपराध कानून बनाया गया। परन्तु समय-समय पर यह शिकायत होती रही है कि अस्पृश्यता को रोकने में यह कानून सक्षम नहीं है। इस आलोचना को देखते हुए केन्द्र ने एल-इल्पापेरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने 1969 में अपनी रिपोर्ट दी। नया कानून इस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इसे राष्ट्रपति ने 13 सितम्बर, 1976 को अपनी स्वीकृति दे दी थी।

नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, अस्पृश्यता अपराध कानून 1955 में किए गए संशोधन से अस्तित्व में आया है। इसके अन्तर्गत अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंडित लोग संसद और विधानसभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे। अस्पृश्यता बरतने के अपराध में जुर्माना और दोनों तरह की संज्ञा की व्यवस्था की गई है। पहली बार अपराध करने पर एक माह तक की कैद और 100 रु से लेकर 500 रु तक जुर्माना किया जा सकेगा। किन्तु दुबारा अपराध करने का छह माह से एक वर्ष की कैद और 1000 रु तक जुर्माने की व्यवस्था है। अस्पृश्यता के सभी अपराधों में पुलिस बिना शिकायत के कार्रवाई कर सकेगा किन्तु अभी तक वादी और प्रतिवादी को समझौता करके मामले को समाप्त करने की छूट थी वह नए कानून में नहीं रहेगी। पहली बार यह प्रावधान किया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अस्पृश्यता के अपराध की जांच के काम की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, तो

www.ignited.in

उसे अपराध को प्रोत्साहन देने के आरोप में दंडित किया जाएगा।

विधानमंडलों में प्रतिनिधित्वः

संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अनुसार राज्यों को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। आरम्भ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष तक के लिए थी। लेकिन यह समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। लोकसभा में 79 स्थान तथा विधानसभाओं में 557 स्थान इस समय अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। पंचायती राज्य लागू होने के बाद इनके लिए ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय इकाइयों में भी स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन नट समदाय इन लाभों से वंचित रहा है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्वः

संविधान के अनुच्छेद 335 में व्यवस्था है कि संघ और राज्यों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय प्रशासन की कुशलता को कायम रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के दावा का ध्यान रखा जायेगा। अनुच्छेद 16(4) में ऐसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। इस व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार ने अपने नियंत्रण में आने वाली सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। जिन पदो ंके लिए अखिल भारतीय स्तर की खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती की जाती है। उनमें 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।

जिन पदों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के बिना भर्ती की जाती है उनमें अनुसूचित जातियों के लिए 16 2/3 प्रतिशत पद आरक्षित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए इन दोनों किस्म के पदों में 7.5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया गया है। वर्ग 'ग' और 'घ' की खुली भर्ती से भरे जाने वाले पदो ंके लिए आमतोर पर किसी खास क्षेत्र या इलाके लोग आवेदन करते हैं। इन पदो ंके लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण सम्बंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। आरक्षण की इस योजना पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी अनुसरण किया जा रहा है। इन स्वैच्छिक एजेंसियों को सरकार से पर्याप्त अनुदान सहायता मिलती है, एक शर्त के रूप में इनसे भी उपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में आरक्षण योजना की कुछ खास विशेषताओं को लागू करें।

कल्याण एवं सलाहकार एजेंसी

भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो सामान्य रूप से अपने सभी नागरिकों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में व्यापक नीतियाँ और योजना बनाने तथा उनके विकास के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने वाला प्रमुख माध्यम है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने कार्यक्षेत्र से सम्बंधित मामले की प्रमुख एजेंसी है। कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल भी रखता है, 1998 में इस मंत्रालय को नया नाम दिया गया- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

संसदीय समितिः

सरकार ने अब तक तीन संसदीय समितियाँ गठित की है। पहली समिति 1968 में, दूसरी समिति 1971 में और तीसरी समिति 1973 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संविधान में दी गई सुरक्षाओं के क्रियान्वयन की जांच करना था। इस समिति को अब संसद की स्थायी समिति बना दिया गया है और इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष रखा गया है।

आज लोकतंत्र का जमाना है इसमें संख्या बल का मूल्य होता है। जो कि नट जाति आज पूरे भारत में कम जगहों पर पाया जाता है। जिसकी संख्या भी बहुत ही कम होता जा रहा है। देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नट जाति (या घुमंतु) को जो वांछित लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिला। आजदी के 70 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन गरीबी और जहालत भरी जिन्दगी से छुटकारा नहीं मिला, दुख भरी जिन्दगी से भी पीछा नहीं छूटा सुख सम्पन्नता तो दूर की बात है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नट जाति अपना अस्तित्व बचाने के लिए आदिकाल से ही कोशिश में जुटा है। आज भी हमारी समाज के कुछ तबका इसे देखना नहीं चाहता लेकिन नट जाति अपने वजूद आज भी बचाया हुआ है। दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित नहीं है अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में जुटा हुआ है। लेकिन इसके साथ यह बात सत्य है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे नीचे के पायदान पर होने के कारण नट जाति सदियों से दमन का शिकार होते आ रहे हैं। आज हमारे समाज में इसे पिछड़ेपन के कारण अनेक ज्वलंत समस्याएँ पैदा हुई है वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के चलते सर्वाधनिक उद्योगों एवं शिक्षा के निधीकरण की नीति

को बढ़ावा देने से अनुसूचित जाति (नट) के विकास का पहिया रुक गया है।

अनुसूचित जाति समाज के दूसरे समुदायों के अपेक्षा संख्या बल, वृद्धि बल और कर्मठता के बावजूद नट समाज आशा के अनुरूप प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ पाया है। नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। इसकी कुछ समस्याएं है।

अशिक्षित होनाः

शिक्षा का अभाव होना नट जाति की अवनति का एक महत्वपूर्ण कारण है। पहले इनके लिए हिन्दु शास्त्रों के अनुसार शिक्षा विद्या नही नहीं था लेकिन बीसवीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक की वजह से उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले लेकिन उसका लाभ तो बहुत गिने-चुने लोगों को ही मिल पाया और आजादी के बाद सरकार की ओर से जो प्रयास किये गए उसकी भी पहुंच सक्रिय रूप से बहुत नीचे तक नहीं हो पायी है क्योंकि जिनके हाथों में शिक्षा के विस्तार कार्यक्रमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व है, वे उन्हें बराबरी में नहीं लाना चाहते। जब से शिक्षा के निजीकरण से जिस प्रकार शिक्षा महंगी होती जा रही है इस कमी को पूरा करने के लिए नट जाति के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सरकार और समाज के शिक्षित, सम्पन्न लोगों को सामूहिक प्रयास करने होंगे।

अंधविश्वासः

नट जातियों के लोगों में जो अंधविश्वास सदियों से चले आ रहे हैं, वे अभी भी बरकरार है। मानसिक दासता से उभरने में अभी वक्त लगेगा। भूत-प्रेत, जादू-टोना में विश्वास बराबर बना हुआ है। मृतक के मुक्ति के लिए बड़ा भोज दिया जाता है चाहे पैसा कहीं से कर्ज में ही क्यों न उठाना पड़े। वैसे शिक्षित समाज तो इस प्रकार के अंधविश्वासों से दूर होता जा रहा है, जो अच्छा लक्षण है लेकिन 90 प्रतिशत से अधिक आबादी तो इस प्रकार के अंधविश्वास में ग्रस्त है और खून-पसीने के अपनी कमाई को व्यर्थ में बर्बाद कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हद से ज्यादा बदतर है, वे खून पसीना एक कर इतनी कड़ी मेहनत से दिन-रात एक कर पैसा कमाते हैं और इन अंधविश्वासों में फंसकर इस कड़ी मेहनत के पैसा को बर्बाद कर देते हैं।

नशाखोरी जो कि नट जाति के जिंदगी का एक अहम् हिस्सा बन कर रह गया है, नट जाति का मानना है कि नशा से थकान दूर हो जाता है। दिन भर काम से थके-मारे आते हैं। तो थोड़ी नशा करना ज़रूरी है शायद नट जाति को इसकी कुरूतियाँ पता नहीं है कि नशा एक अभिशाप है, नशा एक ऐसी बुराई है। जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशा स्वास्थ्य लिए हानिकारक होने के साथ साथ व्यक्ति के आर्थिक और समाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। नट जाति में नशा का प्रचलन है।

गरीबीः

आँकड़े चाहे भारत को कितना भी आर्थिक रूप से मजबूत दिखाएँ विकास दर भले ही 10 प्रतिशत से ऊपर चली जाए, लेकिन 40 प्रतिशत से अधिक आबादी का मूलभूत सुविधाओं वंचित होना अपने आप में बहुत ही दुखद पहलू है। अमीरों की संख्या बढ़ेगी तो गरीबों की संख्या भी बढ़ेगी इस गरीबी से कोई वर्ग जाति अछूते नहीं है। लेकिन नट जाति की स्थिति इसलिए बहुत खराब है कि वह समाजिक और आर्थिक पाबंदियों से अभी भी ग्रस्त है। वह अपने परम्परागत व्यवसाय को तिलांजलि देकर दूसरे कार्य की ओर अग्रसर हुआ तो दूसरों ने उसे कहीं भी जमने नही ंदिया नट जाति के पास कोई खास धंधा नहीं वो सिर्फ जादूगरी, नृत्य, सपेरा का कार्य में सक्षम था लेकिन मनोरंजन धीरे-धीरे सभी के घरों में आ बसा है। जैसे टीवी, रेडियो, बाजा, इत्यादि इससे भी नट जाति के धंधों पर असर पड़ा और उसके पास न तो जमीन है न किसी प्रकार का कोई आर्थिक जरिया पूंजी के अभाव में वह कोई दूसरा काम करने के लिए सोच भी नहीं सकता काम-धंधों के बारे में सरकार की जितनी भी योजनाएँ है, उनकी उसे जानकारी नहीं है, यदि इस भयंकर गरीबी से निकलने का समय रहते पहल नहीं की गई तो भूख और बीमारी से दम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। इसलिए सरकार को कुछ रोजगार की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाता है और उससे भी ज्यादा कि उन रोजगार के बारे में नटों को बताया जा सके।

बेरोजगारीः

कहने को सारी विश्व में मंदी छाई है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, यहां भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी प्रयासों के बावजूद इस पर नियंत्रण कर पाना कठिन हो रहा है। बहुत बाद में यहाँ पर व्यवसायिक प्रशिक्षण की ओर रुझान बढ़ा है, फिर इस दिशा में जो योजनाएं चल रही है। वे देश के आबादी के हिसाब से ना काफी है। नट जाति के लोग इसमें भी बहुत पीछे हैं। ये मजदूरी और कलाबाजी के अलावा किसी कार्य में सक्षम नहीं हैं और दूसरा कार्य करने में शर्म महसूस करते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण नट जाति को अशिक्षित होना है। सरकार को नट जाति पर कुछ खास ध्यान

www.ignited.in

देना पड़ेगा ताकि वे उसे भी रोजगार मिल सके और समाज के मेन धारा में लाया जा सके।

उत्पीड़नः

वैसे तो सामन्ती मानसिकता और जातीय दंग से ओत प्रोत दबंग उच्च जाति के ऊँची नाक वाले अपने यहां काम करने वाले मज़दूरों तथा नीच समझे जाने वाली जाति के लोगों पर समय-समय पर अत्याचार करते रहते हैं लेकिन जिन्होंने इसे नियामित मान लिया है। वे विरोध नहीं करते इसकी चर्चा गली-मुहल्लों तक सीमित रह कर अपने आप कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन अब कुछ नट इसका विरोध करते हैं। गलत बात का जवाब भी देते हैं। लेकिन उसके इस मनोबल को तोड़ने के लिए दबंग उच्च जातियाँ इस पर भारी पड़ती है और पुलिस प्रशासन भी उसका साथ नहीं दे पाता नट जाति जो कि अपने अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण वे डर से चुप हो जाता है। आज नट जाति के ये हालत हो गई है कि उसकी मजदूरी के बदले में मार पीट मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन उत्पीड़न का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर विराम कौन लगाएगा, कैसे लगेगा? अगर कोई उच्च जाति के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो सारी उच्च जाति उसके पक्ष में खड़ा नजर आता है। लेकिन समाज के दबा कुचला जाति नट के साथ ऐसा व्यवहार होने पर कोई नजर नहीं आता यह एक हमारे समाज की गंभीर समस्या है। इस विषय पर सरकार को बेहतर कदम उठाना पड़ेगा ताकि नटों के हालात और उत्पीड़न के मामलों को देखा जा सके।

निष्कर्षः

कहा जा सकता है कि आज भी नट जाति को अछूत, चोर, निम्न जाति माना जाता है, संवैधानिक कानून के तहत इस का भेद-भाव को अवैध और कानून के तहत दंडनीय है। फिर भी नट जाति को अछूत माना जाता है। ज्वालंत समस्याओं के कारण समाज में नट जाति बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी स्थिति दिन-प्रतिदिन और बिगड़ती चली जा रही है। वर्तमान समाजिक, आर्थिक व्यवस्था में वे बहिष्कृत श्रेणी में रहे हैं उन्हें शिक्षा, रोजगार, शोषण छुआ-छूत आदि समस्याओं का भी सामना करता पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद आज भी नट जाति के विकास का कोई खास असर दिखाई नहीं देता और आज तक वे समाज के प्रमुख धारा से कटे हुए अपने आपको महसूस करते हैं। एक तरफ जहां ये नटजातियाँ विकास की अंधी दौड़ में पीछे छूटती चली गई वहीं दूसरी तरफ आजादी के बाद में बने कानून भी इन्हें हाशिये पर धकेलते गए जैसे-जैसे देश में विकास होता गया ये जातियाँ अपनी परंपारिक व्यवसाय से हाथ धोती गई। यातायात जैसे-जैसे मजबूत हुआ नटों का व्यवसाय कमजोर होने लगा। उनका मनोरंजन दिखाना फीका पड़ता गया अब लोग अपने घरों में ही मनोरंजन का साधन ले आते हैं। जैसे टीवी, रेडिया इत्यादि नटों का मनोरंजन इसके सामने फीका पड़ गया है। स्वतंत्रता के बाद नटों के समाजिक, आर्थिक राजनीतिक, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनके अशिक्षित होने के कारण सरकार के नीतियों का भी उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं है। और समाज में नटों के प्रति आज भी बहुत ज्यादा भेद-भाव है। संवैधानिक कानूनों के तहत इस तरह के भेद-भाव अवैध है। लेकिन आज आजादी के 70 साल के बाद भी इस तरह की प्रणाली वर्तमान भारत में मौजूद है। सरकार द्वारा नट जाति के लिए सभी प्रकार के योजनाओं और नीतियों का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन नट जाति के शिक्षा, गरीबी में और बेरोजगारी में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार को इनकी शिक्ष, रोजगार, व्यवसाय आदि पर ध्यान केन्द्रित कर उसका विकास किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. हजारी प्रसाद द्विवेदीः हिन्दी साहित्य की भूमिका राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 21
2. ललन नट, तेवरिया आरा के संग्रह में हस्तलिखित प्रति के रूप में प्राप्त जो नाच पार्टी का संचालन करते थे।
3. कौटिल्य अर्थशास्त्र, X-22
4. एच.एच. रिजलेः द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ़ बंगाल, भाग-II, फर्मा के.एल.एम. प्रा.लि. कोलकाता, पृ 129
5. शिवनाथ वसु, समेवरी इन द जातकाज जर्नल ऑफ़ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, IX-369.375
6. एच.एच. रिजलेः दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ़ बंगाल, भाग-II, पृ 130

Corresponding Author

Dr. Md Talib*

PhD Political Science, Magadh University, Bodhgaya

www.ignited.in